न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देसूरी (पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी-श्री राजेश मेवाड़ा, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या : 95/2013

वादीगण : गंगाराम व अन्य

प्रतिवादी : राज. सरकार

वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 89 आर.टी. एक्ट

उपस्थिति :

(1) श्री छगन गेहलोत, अधिवक्ता वादीगण की ओर से

(2) प्रतिवादी की ओर से सरकारी पेरोकार

दिनांक : 23.2.17

– निर्णय–

वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद–पत्र प्रतिवादी के विरूद्व अन्तर्गत धारा 53, 88, 89 आर.टी.एक्ट मे पेश कर निवेदन किया की, ग्राम–प्रतापगढ के खसरा नम्बर 487 रकबा 2.50 हैक्टर किस्म–चाही दोयम, खसरा नम्बर 488 रकबा 0.01 हैक्टर, किस्म–गै.मु. बेरा, खसरा नम्बर 489 रकबा 0.09 हैक्टर किस्म–गै.मु.सडा, खसरा नम्बर 490 रकबा 0.03 हैक्टर किस्म–गै.मु.रास्ता, खसरा नम्बर 491 रकबा 0.08 हैक्टर किस्म–गै.मु.रास्ता, कुल खसरा–5 कुल रकबा 2.71 हैक्टर लगान रूपयां 75 स्थित है। तथा वादग्रस्त आराजी के उपरोक्त नये खसरा नम्बर पुराने खसरा नम्बर 881 रकबा 15.5 बीघा 3 विस्वा से बने जो वादग्रस्त आराजी वादीगण के पिता/दादा खीमा पुत्र रोडा बावरी की खरीदसुदा एवं कब्जाकाश्तसुदा खातेदारी कृषि भूमि स्थित है। उक्त वादग्रस्त आराजी में वादीगण का बराबर–बराबर हिस्सा आता है जो भाई बंट के अनुसार मौके पर बंटवाडा कर अपने–अपने हिस्से पर काबिज होकर 40–50 वर्षो से बिना किसी दखलन्दाजी के काश्त करते आ रहे है।

कि वादग्रस्त आराजी में वादी संख्या–1 गंगाराम का 1/4 हिस्सा, वादी संख्या–2 दीपाराम का 1/4 हिस्सा, वादी संख्या–3 मांगीलाल का 1/4 हिस्सा व वादी संख्या 4 व 5 का संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा कब्जा काश्तसुदा खातेदारी का आता है। जिस पर 40–50 वर्षो से वादीगण काबिज है। लेकिन लिपिकीय भूल से वक्त नामान्तरण के गंगाराम व गमनाराम व प्रभु के पिता केनीया को खीमा के पुत्र दर्ज न कर भाई बताकर रोडा के पुत्र बताकर नामानतरण दर्ज किया, अर्थात् खीमा, केनीया, गंगाराम पि0 रोडा कौम बावरी दर्ज कर दिया, जबकि गंगाराम व केनाराम खीमा के पुत्र थे, जिसे लिपिकीय भूल से गंगाराम व केना को रोडा के पुत्र बताकर भारी भूल की है, जिससे राजस्व रेकर्ड वादीगणो का हिस्सा बेमेल व गडबड हो गया है जिसे दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। रोडा के एक ही पुत्र खीमा था। खीमा के चार पुत्र है जिसमें गंगाराम, केनाराम, दीपाराम, रूपाराम पुत्रगण खीमाजी जातिगण बावरी है। जिसके अनुसार वादीगण अपने–अपने बंट में काश्त कर रहे हैं तथा खाता बेमेल व गडबड होने तथा सामलाती होने से सरकारी सुविधाऐ ऋण, अनुदान आदि प्राप्त करने में असुविधा रहती हैं। जिससे मौके पर कब्जा अनुसार वादग्रस्त आराजी का वादीगण बराबर बराबर हिस्सा खातेदारी काश्तकारी का घोषित करवाने के लिऐ वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 89 आर.टी.एक्ट में प्रतिवादी के विरूद्व पेश किया है। इस पर मुदकमा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जबाव हेतु सम्मन से तलब किया।

उपखण्ड अधिकारी
देसूरी (पाली)

प्रतिवादी ने जबाव पेश किया जिस पर न्यायालय द्वारा तनकी कायम की गई जो तनकी जिम्मे वादीगण रखी गई जिस पर वादीगण ने अपनी ओर से गवाह पी.डब्लू.–1 गंगाराम, पी.डब्लू.–2 दीपाराम, पी.डब्लू.–3 मांगीलाल, पी.डब्लू.–4 प्रभुराम, पी.डब्लू.–5 जवानाराम, पी.डब्लू.–6 सोहनलाल, पी.डब्लू.–7 पेमाराम, पी.डब्लू.–8 रूपाराम के बयान कलमबद्ध न्यायालय में करवाये गये। नयी जमाबन्दी, पुरानी जमाबन्दी, ट्रेस नक्शा, पुरानी खतोनी व सहमति पत्र एवं समस्त संलग्न दस्तावेज पर्चीयां से स्पष्ट है कि वादीगण के उक्त वादग्रस्त राजस्व रेकर्ड में केनिया, गंगाराम पि0 रोडा के नाम गलत दर्ज किये गये जो दोनो ही रोडा के पौत्र है तथा खीमा के पुत्र है तथा खीमा के चार पुत्र विधिक उत्तराधिकारी अनुसार वादीगण वादग्रस्त आराजी पर काबिज होकर 40–50 वर्षो से अधिक समय से अपने–अपने बंट मे काश्त करते आ रहे है जिसमें वादीगण का बराबर बराबर हिस्सा आता है।

हमने वकूलाय बहस सुनी गई जिस पर वादीगण अधिवक्ता ने निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी पर वादीगण का बराबर बराबर 1/4–1/4 हिस्सा आता है जिस पर वर्षो से वादीगण काबिज है तथा शांतिपूर्ण ढग से बिना किसी दखन्दाजी के काश्त करते आ रहे है तथा केनिया, गंगाराम पुत्र रोडा के नाम गलत इन्द्राज राजस्व रकेर्ड में किये गये है। जबकि केनिया व गंगाराम पुत्र खीमाजी के पुत्र है तथा रोडा के पौत्र है जिससे केनिया, गंगाराम पुत्र रोडा के नाम वादग्रस्त आराजी मे से विलोपित कर वादीगण को वादग्रस्त आराजी में बराबर बराबर 1/4–1/4 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का कानूनी अधिकार होने से वादीगण को बराबर हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

वकील वादीगण की बहस पर मनन करने एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं वाद पत्र जबाव–दावा संलग्न दस्तावेज वंशावली एवं बयानात का अध्ययन करने पर स्पष्ट प्रतीत होता है कि रोडा के एक पुत्र खीमा था तथा खीमा के चार पुत्र वादीगण हुऐ। खीमा के जीवनकाल मे उसके पुत्र केनिया, गंगाराम को भी वक्त नमान्तरण सहखातेदार रॉग एन्ट्री के दर्ज कर रोडा के पुत्र बना दिया जिसे दुरूस्त किया जाना कानूनन आवश्यक है तथा गवाहो ने अपने बयानो में भी वाद पत्र के तथ्यों की ताईद की हैं, जिसमें केनिया, गंगाराम पुत्र रोडा बावरी के नाम वादग्रस्त आराजी मे से विलोपित कर वादग्रस्त आराजी में वादी गंगाराम का 1/4 हिस्सा, वादी दीपाराम का 1/4 हिस्सा वादी मांगीलाल का 1/4 हिस्सा वादीगण गमनाराम प्रभुराम का 1/4 हिस्सा दर्ज किये जाकर उक्त आराजी में वादीगण का खाता दुरूस्त किया जाना कानूनन आवश्यक है तथा वादीगण वाद पत्र सिद्व करने में सफल रहे है जिससे वादीगण का वाद डिक्री योग्य पाया जाता है।

अतः अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादी के इस अमर की जारी की जाती है कि सरहद ग्राम प्रतापगढ पटवार मंडल सादडी–2 तहसील देसूरी के खसरा नम्बर 487 रकबा 2.50 हैक्टर किस्म–चाही दोयम, खसरा नम्बर 488 रकबा 0.01 हैक्टर, किस्म–गै.मु. बेरा, खसरा नम्बर 489 रकबा 0.09 हैक्टर किस्म–गै.मु.सडा, खसरा नम्बर 490 रकबा 0.03 हैक्टर किस्म–गै.मु.रास्ता, खसरा नम्बर 491 रकबा 0.08 हैक्टर किस्म–गै.मु.रास्ता, कुल खसरा–5 कुल रकबा 2.71 हैक्टर लगान रूपयां 75 में वादी संख्या–1 गंगाराम का 1/4 हिस्सा, वादी संख्या–2 दीपाराम का 1/4 हिस्सा, वादी संख्या–3 मांगीलाल का 1/4 हिस्सा तथा वादी संख्या–4 व 5 गमनाराम, प्रभु का संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का आदेश किया जाता है एवं केनिया, गंगाराम पुत्र रोडा बावरी के नाम उक्त आराजी मे से विलोपित किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा उपरोक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद किया जावे, अंतिम डिक्री पर्चा अलग से बनाया जाकर पत्रावली बंद हो, पत्रावली इसी कदर फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
देसूरी (पाली)

निर्णय आज दिनांक 23-2-17 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अंतिम डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ.21रूल6,7 जाब्जा दीवानी)

ज अदालत – श्रीमान उपखण्ड अधिकारी न्यायालय, बमुकाम–देसूरी
इजलास – श्रीमान् राजेश मेवाडा, आर.ए.एस.

ादीगण –
) गंगाराम पुत्र खीमाजी
!) दीपाराम पुत्र खीमाजी
3) मांगीलाल पुत्र रूपाजी
!) गमनाराम पुत्र केनाराम
5) प्रभुराम पुत्र केनाराम
तमाम जातिगण–बावरी
निवासीगण–प्रतापगढ सादडी
तह. देसूरी जिला–पाली (राज.)

बनाम –राज. सरकार जरिये
तहसीलदार देसूरी
(भूमिधारी)

दावा अन्तर्गत धारा 53, 88, 89 आर.टी.एक्ट मुकदमा नं. 95/2013

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू हमारे अधिवक्तागण हाजिर श्री छगन गेहलोत मिनजानिब मुदई व सरकारी पेरोकार मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुकम दिया जाता व डिक्री दी जाती है कि –

अतः अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरूद्व प्रतिादी के इस अमर की जारी की जाती है कि सरहद ग्राम प्रतापगढ (सादडी) चक–2 में स्थित संयुक्त सामलाती खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 487 रकबा 2.50 हैक्टर किस्म–चाही दोयम, खसरा नम्बर 488 रकबा 0.01 हैक्टर, किस्म–गै.मु. बेरा, खसरा नम्बर 489 रकबा 0.09 हैक्टर किस्म–गै.मु.सडा, खसरा नम्बर 490 रकबा 0.03 हैक्टर किस्म–गै.मु.रास्ता, खसरा नम्बर 491 रकबा 0.08 हैक्टर किस्म–गै.मु.रास्ता, कुल खसरा–5 कुल रकबा 2.71 हैक्टर लगान रूपयां 75 स्थित है, उसमे से केनिया, गंगाराम पुत्र रोडा के नाम विलोपित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं एवं वादी संख्या–1 गंगाराम को 1/4 हिस्से का, वादी संख्या–2 दीपाराम को 1/4 हिस्से का, वादी संख्या–3 मांगीलाल को 1/4 हिस्से का तथा वादी संख्या–4 व 5 को संयुक्त रूप से 1/4 हिस्से के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने के आदेश किया दिया जाता हैं, उपरोक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद किया जाने हेतु तहसीलदार देसूरी को तहरीर जारी की जाये।

नीज .....–..... मुबलिक .....–..... बाबत .....–.....
खर्चा इस मुकदमें सूद व शहर .....–..... फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल यादी तक .....–..... को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख ....23.... माह ..2.. सन् 2017

दस्तख्त ....
ओहदा उपखण्ड अधिकारी
देसूरी (पाली)

मोहर

मुदई	रूपया	पैसे	मुद्दायला	रूपयां	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2		स्टाम्प अर्जी दावा	–	–
स्टाम्प वकालत नामा	25		स्टाम्प वकालत नामा	–	–
स्टाम्प वजह सबूत	–		स्टाम्प वजह सबूत	–	–
महनताना वकील	–		महनताना वकील	–	–
खर्चा गवाहान	–		खर्चा गवाहान	–	–
फीस कमीश्नर बाबत् बजराय	–		फीस कमीश्नर बाबत् बजराय	–	–
हुकमनामा मिजान	–		हुकमनामा मिजान	–	–

नोट – इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चायह हो फरीकन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो न हो दर्ज किया जाये।